न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव (आर.ए.एस)

दावा संख्या 01/2019

1. भंवरू खां पुत्र फूले खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर, राजस्थान

– वादी –

बनाम

1. मदनलाल पुत्र गंगाधर जाति महाजन निवासी मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार धोद, जिला सीकर

–– प्रतिवादीगण ––

दावा बंटवारा,स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित वकील वादीगण – श्री ओमप्रकाश जांगिड़

वकील प्रतिवादी – श्री अमित जांगिड़

निर्णय अंतिम डिक्री

दिनांक –18.10.2019

वकील वादी श्री ओमप्रकाश जांगिड़ द्वारा यह दावा पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 642/318 रकबा 5.62 है0 ग्राम मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर में से 0.6600 है0 भूमि इसमें निर्मित ट्यूबवेल, विधुत चलित पम्पिंग सेट व विधुत संबंध सहित दिनांक 12.3.2018 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर विधिवत रूप से कब्जा प्राप्त किया था व इसके पश्चात जरिये नामा0 संख्या 990 दिनांक 20.4.2018 से खातेदारी वादी के नाम दर्ज हो गई। प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य दिनांक 12.3.18 को एक इकरारनामा रूबरू गांव के मौतबीरान तहरीर कर नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाया गया कि उक्त विक्रीत कृषि भूमि में आने जाने का रास्ता पश्चिम ओर से मोरडूंगा से माण्डोली जाने वाले रास्ते से होकर निष्पादनकर्ता की कृषि भूमि अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भूमि में से बीचों बीच 10 फिट चौड़ा रास्ता स्थित है, जो 0.66 है0 भूमि में शामिल है। उक्त कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर अलग सींव नींव कायम करे ताकि वादी को काश्त में किसी प्राकार की परेशानी नहीं हो व रास्ता कायम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से बंटवारा किये जाने पर मना कर दिया । वादी का वाद डिक्री किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे।

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद विधिवत तामिल के उपस्थित नहीं आया जिसके कारण इसके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये वकील श्री अमित जांगिड़ उपस्थित रहा तथा जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया गया कि उक्त भूमि का बंटवारा किये जाने में उन्हे कोई एतराज नहीं है। वादी ने जो सहायता चाही है वह दे दी जावे। विभाजन किया जाकर खातेदारी अलग – अलग किये जाने में जवाबदाता को काई एतराज नहीं है। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./1107 दिनांक 28.5.2019 द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया ।

वकील उभयक्ष हाजिर । वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की। हमने पत्रावली का व राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मोरडूंगा की जमाबंदी सम्वत 2070–73 के अनुसार खसरा नम्बर 642/318 रकबा 5.6200 है0 की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादी का हिस्सा 0.66 है0 है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार बंटवारा किये जाने पर उभयपक्ष सहमत हैं।

अतः वाद वादी वकील उभयपक्षों की सहमति से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोद के विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री दी जाती है –

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा	लगान
1	भंवरू खां पुत्र फूले खां जाति कायमखानी सा. देह	642/318 मि.	0.66 है0 उत्तरी पूर्वी	4.62
2	मदनलाल पुत्र गंगाधर जाति महाजन सा. देह	642/318 मि. 642/318 मि.	2.48 है0 उत्तरी 2.48 है0 दक्षिणी ——————— कुल 4.96 है0	34.72

तहसीलदार के विभाजन प्रस्ताव में बताया गया रास्ता वादी की खातेदारी में रहेगा। विभाजन प्रस्ताव में दर्शाये गये नक्शे के अनुसार तरमीम की जावे। डिक्री जारी हो।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

निर्णय आज दिनांक 18 10/19 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर